

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (ख) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1)(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम/<br>पदनाम       | वर्तमान तैनाती का स्थान                      | स्थानान्तरित संस्था का नाम                    | स्थानान्तरण का प्रकार |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                              | 3                                            | 4                                             | 5                     |
| 1        | श्री दीपक कुमार<br>पशुधन सहायक | राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र<br>विण (पिथौरागढ़) | राजकीय पशु चिकित्सालय,<br>आदर्शनगर-ऊधमसिंहनगर | अनुरोध के आधार<br>पर  |

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह0/-  
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 884 /स्था0-02/वा0स्थाना0/2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर, जनपद-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र विण, जनपद-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17-1 (ख) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1) (ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम/<br>पदनाम       | वर्तमान तैनाती का स्थान                    | स्थानान्तरित संस्था का नाम                  | स्थानान्तरण का प्रकार |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                              | 3                                          | 4                                           | 5                     |
| 1.       | श्री सूरज कुमार<br>पशुधन सहायक | राजकीय पशु चिकित्सालय,<br>बर्दाखान-चम्पावत | राजकीय पशु चिकित्सालय,<br>बाजपुर-ऊधमसिंहनगर | अनुरोध के आधार<br>पर  |

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह0/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 885/स्था०-02/वा०स्था०/2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बर्दाखान, जनपद-चम्पावत।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर- ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी-चम्पावत।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी-ऊधमसिंहनगर।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)  
अपर निदेशक।